राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक :– प. 1(145) एनआरएचएम/स्टोर/09/6497 दिनांक :- 11/6/10

परिपत्र

राजस्थान सरकार, वित्त (GF&AR) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1) वित्त/GF&AR/2007 जयपुर दिनांक 21.04.2010 (परिपत्र संख्या 7/2010) की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है। इस सम्बंध में यह उचित होगा कि आपूर्ति के लिये विभिन्न स्तरों पर जारी किये जाने वाले क्रयादेशों में ही यह अंकित कर किया जावे कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बिल/इनवाईस में निम्न सूचनाओं का समावेश किया जाना आवश्यक है :–

	मात्रा	मूल्य	कुल राशि
माल का मूल्य	.....	.....	X
VAT @	.....	.....	Y
कुल देय राशि	.....	.....	X + Y
Input Tax Credit Claimed (ITC)	.....	.....	Z
Net Tax Payable	.....	.....	Y-Z

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सभी भुगतान प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि इन निर्देशों के अन्तर्गत आपूर्तिकत्ताओं के विपत्रों से काटी गयी कर राशि का भुगतान वाणिज्य कर विभाग को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समय–समय पर किया जावे तथा सम्बंधित आपूर्तिकर्त्ता को भी कर की कटौति का प्रमाणपत्र (VAT 41A) तुरन्त जारी कर दिया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मिशन निदेशक,
एन.आर.एच.एम.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनआरएचएम, जयपुर।
3 निदेशक, (RCH)/CAO (प0क0)।
4 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति। कृपया अपने अधिनस्थ समस्त भुगतानकर्त्ता प्राधिकारियों को भी इन निर्देशों से अवगत करावे तथा पालना सुनिश्चित करावें।
5 समस्त कार्यक्रम अधिकारी, एनआरएचएम।
6 समस्त DPM/DAM जिला स्वास्थ्य समिति।
7 CFA, NRHM/Store Officer, NRHM.
8 कैशियर, एनआरएचएम।
9 भुगतान शाखा, एनआरएचएम/समस्त कन्सलटेंट एवं नोडल ऑफिसर, एनआरएचएम।
10 समस्त अधिकारी CSR को वैबसाईट पर डाऊनलोड़ करने हेतु ।
11 रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक,
एन.आर.एच.एम.

राजस्थान सरकार
वित्त (GF&AR) विभाग

क्रमांक: प.1 (1) वित्त/GF&AR/2007 जयपुर, दिनांक: 21.4.2010
परिपत्र संख्या: 7/2010

समस्त राजकीय विभाग,
समस्त पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम/कम्पनी
सहकारी सोसायटी,
नगर पालिका/पंचायती राज संस्थान,
स्थानीय प्राधिकारी/कानूनी निकाय

विषयः– क्रय किये जाने वाले माल पर विक्रय कर की कटौती बाबत्।

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010 के द्वारा राजस्थान मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 में धारा 20 (2) (ए) जोडी गई है जिसके द्वारा यह प्रावधान किये गये हैं कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग, पब्लिक सैक्टर उपक्रम, निगम या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी कम्पनी या अपनी अंश पूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय रखने वाली सहकारी सोसायटी या जिला एवं खण्ड स्तर की पंचायत राज संस्था, राज्य विधानमण्डल की किसी विधि द्वारा या अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी अथवा कानूनी निकाय द्वारा माल क्रय करने पर उपरोक्त माल पर देय शुद्ध कर का भुगतान सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा सीधे वाणिज्यिक कर विभाग को किया जायेगा एवं माल की कीमत एवं माल में व्यवसायी द्वारा क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का भुगतान सम्बन्धित सप्लायर को किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था के तहत व्यवसायी द्वारा राजकीय विभाग को माल सप्लाई करते समय जो बिल काटा जायेगा उसमें निम्न विवरण होंगे:–

माल का विवरण	मात्रा	मूल्य	कुल राशि
माल का मूल्य			X
VAT @			Y
कुल देय राशि			X+Y
Input Tax Credit Claimed (ITC)			Z
Net Tax Payable			Y-Z

सप्लायर से उपरोक्त बिल प्राप्त होने पर सम्बन्धित सरकारी विभाग/संस्था द्वारा कुल भुगतान योग्य राशि X+Y में से Net भुगतान योग्य कर (Y-Z) का भुगतान सीधे वाणिज्यिक कर विभाग को किया जायेगा एवं शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित सप्लायर को किया जायेगा।

सम्बन्धित सरकारी विभाग/संस्था का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्तानुसार सप्लायर के बिल में से काटी गई कर की राशि का भुगतान राजकोष में चालान VAT-37 में भरकर जमा करावे। यह कार्य सम्बन्धित माह की समाप्ति के अधिकतम 15 दिवस के भीतर करा लिया जाये। चालान VAT-37 का प्रारूप वाणिज्यिक कर विभाग की वैबसाईट www.rajtax.gov.in पर भी उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु एक प्रति संलग्न है।

सम्बन्धित सप्लायर को उसे देय राशि में से उपरोक्त कर की कटौती का प्रमाण पत्र VAT-41A में राजकीय विभाग/संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त प्रपत्र VAT-41A वाणिज्यिक कर विभाग के सम्बन्धित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

माह की समाप्ति के बाद एक माह में सम्बन्धित विभाग/संस्था का यह दायित्व है कि वह पिछले माह में जारी किये गये समस्त VAT-41A का इकजाई लेखा फार्म VAT-40A में तैयार कर VAT-41A की द्वितीय प्रति के साथ वाणिज्यिक कर विभाग के सम्बन्धित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।

समस्त विभागों/राजकीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/नगरीय निकायों एवं जिला स्तर के ब्लॉक स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। यह व्यवस्था ग्राम पंचायतों के लिये लागू नहीं होगी।

भवदीय,

(सी.के. मैथ्यू)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त